कार्यालय– जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला योजना कार्यालय)

–:पुर्ननिविदा आमंत्रण–सूचनाः–

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री पशुपति कुमार पारस, माननीय स0वि0प0–सह–माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु अनुमोदित पुस्तकों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु दिनांक 20.06.2018 को अपराह्न 02:00 बजे तक निविदा आमंत्रण की गई थी। उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त निविदा को खोला गया। प्राप्त तीन निविदा की तकनीकी निविदा में एक ही फर्म/प्रतिष्ठान का अधिकार/प्राधिकार पत्र संलग्न पाये जाने के कारण क्रय समिति द्वारा निविदा को रद्द करते हुए पुर्ननिविदा प्रकाशित करने हेतु निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में उक्त माननीय स0वि0प0 द्वारा अनुशंसित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुशंसित एवं अनुमोदित पुस्तक की आपूर्ति हेतु पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 06.07.2018 को 02:00 बजे अप0 तक जिला योजना कार्यालय, खगड़िया में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कर सकते हैं। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा उप विकास आयुक्त, खगड़िया के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी जिसमे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

ईच्छुक निविदादाता जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अनुमोदित पुस्तको की सूची की छायाप्रति कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर जिला योजना कार्यालय, खगड़िया से प्राप्त कर सकते है अथवा खगड़िया जिला के बेवसाईड khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

01. तीन वर्षो का आयकर रिटर्न एवं पैन नम्बर तथा ब्रिकी कर निबंधन/जी0एस0टी0 निबंधन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

02 .निविदा के साथ 30000.00 (तीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी,खगड़िया के पदनाम से भुगतेय होगा।

03 .निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ –पत्र देना होगा।

04 आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना पड़ेगा।

05 क्रय की जानेवाली पुस्तको के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।

07 बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नही होगा।

08 क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नही की जाएगी।

09 प्रत्येक पुस्तक की अधिमानता आई0एस0बी0एन0 मानक के साथ ही स्वीकार की जाएगी।

10 National Book Trust, NCERT, प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

12 नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तके रेल/डाक पार्सल से स्वीकार नही की जाएगी।

13 पुस्तको के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है।

क	1 से 10 प्रतियाँ पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियाँ पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियाँ पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियाँ पर	25 प्रतिशत
ङ	201 से 500 प्रतियाँ पर	30 प्रतिशत
च	501 से ऊपर प्रतियाँ	35 प्रतिशत

प्रकाशक/आपूर्तिकर्त्ता उपर्युक्त निर्धारित छूट या उससे अधिक देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।

14 नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों से संबंधित निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्र0	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन का वर्ष	कुल पृष्ठों की संख्या	साजिल्द/अजिल्द एवं मुद्रित मूल्य

15 निविदाताओं को पिछले तीन वर्षो में औसतन टर्नओभर 50.00 लाख (पचास लाख) रू0 या अधिक का होना आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :–

वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवली सभी पुस्तकों पर छुट की दर प्रतिशत में अंकित करेगें।

(ग) सामान्य शर्ते:–

01 तकनीकी निविदा मे असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

02 जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुँचा कर करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नही होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी। निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा।

03 प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

04 किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

05 किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र खगड़िया होगा।

06 चयनित आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

07 किसी प्रकार का कूट कार्य/छल होने पर कानूनी कार्रवाई के साथ नीलाम पत्र के द्वारा राशि वसूली की जाएगी।

08 निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

ह0/-

जिला योजना पदाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 747 /जि0यो0, दिनांक 21/06/2018

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी, खगड़िया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त, खगड़िया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
खगड़िया।

C:\Users\Sudhakar\Desktop\NIVIDA BOOK Parash.docx2